

**प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा**  
 जिला : उत्तराखण्ड, संसोधन : उत्तराखण्ड वन विभाग, प्रभागीय वनाधिकारी  
 अल्मोड़ा

सेवा में,

प्रभिक्षापी अभियंता,  
 निर्माण खण्ड, संसोधन  
 रानीखेत।

- विषय -** एनपीपीपी की नई दरों के अनुसार जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि के सम्बन्ध में।
- सन्दर्भ -** प्रमुख वन संरक्षक (BoF) उत्तराखण्ड देहरादून का पत्र संख्या 1253/P.O. दिनांक 03.08.2022।

उपरोक्त विषयक क्रम में सन्दर्भित पत्र के क्रम में आगत कारण है कि वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण जिनमें संहान्तिक स्वीकृति 06.01.2017 से पूर्व प्राप्त हो चुकी है परन्तु वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है, में एनपीपीपी की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है।

उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव में आपके द्वारा एनपीपीपी की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसके तहत आपके द्वारा निम्नानुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है। आपके द्वारा निम्नानुसार एनपीपीपी की राशि जमा किये जाने व पूर्ण अनुपालन आख्या को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकरण में पूर्व में एनपीपीपी की धनराशि जमा कर दी गयी है तो उसकी रसीद संलग्न करें और अतिरिक्त धनराशि ही जमा कराये। इसके अतिरिक्त यदि आपके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है तो पूर्ण धनराशि एनपीपीपी की नवीन दरों के अनुसार ही जमा की जायेगी।

क्र. सं.	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	एनपीपीपी की जमा धनराशि	एनपीपीपी की नवीन दरों के अनुसार धनराशि	जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6=5-4
1	8382/2014	Bhatkot Dhon Rithachora Motor Road	1242150	1900489	658339

*[Signature]*  
 प्रभागीय वनाधिकारी,  
 अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

*[Signature]*  
 प्रभागीय वनाधिकारी,  
 अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।